

आदिवासी भारत महासभा (यूनिटी फोरम) - प्रथम सम्मेलन की प्रक्रिया और रिपोर्ट फरवरी 2022 से मई 2022 तक

आदिवासी भारत महासभा (यूनिटी फोरम) के गठन की प्रक्रिया

आदिवासी भारत महासभा (यूनिटी फोरम) का मूल संगठन फरवरी 2018 में CPI (ML) Red Star और अन्य समान विचारधारा वाले समूहों की पहल पर आदिवासियों के अस्तित्व, जीवन और आजीविका पर कॉर्पोरेट / पूंजीवादी हमले के दोहरे प्रश्न से निपटने के लिए गठन किया गया था। कॉर्पोरेट / पूंजीपतियों ने अपने मुनाफे हेतु आदिवासियों के ज़मीनों को नष्ट कर दिया है। कृषि की शेली को इस तरह से बदल दिया गया है जिससे उनका उत्पाद बीज, खाद, उर्वरक, कीटनाशक, ट्रैक्टर जैसे साधनों पर निर्भर हो जिन पर कॉर्पोरेट्स/पूंजीपतियों का नियंत्रण है। आदिवासियों को प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जिन पर उनका अस्तित्व टिका है। मुट्टी भर कॉर्पोरेट्स द्वारा नियंत्रित बाजार में बिचौलियों के माध्यम से आदिवासी के कृषि उत्पादकों के रूप में उसकी भूमिका को खत्म करके उन्हें उन पर आश्रित होने को मजबूर किया है। लगातार हाशिए पर धकेले जाने के बावजूद बहु-आयामी कॉर्पोरेट/पूंजीवादी हमले के खिलाफ आदिवासी इलाके संघर्ष के द्वीप रहे हैं। संघर्ष की इस विविधता को पूरी तरह से पकड़ने के लिए, ABM की सदस्यता और संबद्ध सदस्यता की दोहरी नीति थी।

पिछले चार वर्षों में ABM को विकसित करने के क्रम में, संगठनात्मक मुद्दों के प्रति CPI ML Red Star का दृष्टिकोण कई चर्चाओं का स्रोत रहा है। प्रमुख आयोजक के रूप में CPI ML Red Star इन्हें हल करने में विफल होने के कारण उससे नेतृत्व वाली अखिल भारतीय मजदूर किसान संघर्ष समिति (ABMKSS) के एक सहयोगी सदस्य ने सक्रिय रूप से कदम रखते हुए एक ठोस प्रस्ताव के साथ ABM के तौर तरीके को फिर के लिए र्जाचने के लिए प्रेरित किया। जिससे आदिवासी के विविध समूहों द्वारा जमीनी मुद्दों को निपटाने के विभिन्न पद्धतियों को तरजीह दी जायेगी। ABMKSS के इस प्रस्ताव को गंभीरता से लेने की बजाय, CPI ML Red Star ने इसे पूरी तरह से अनदेखा किया जिससे ABM तेलंगाना राज्य कमेटी (ABM-TSC) के कामकाज में गंभीर संगठनात्मक समस्या पैदा हो गई। CPI ML Red Star ने संगठनात्मक मुद्दों को नकारते हुए लगातार ABM-TSC अध्यक्ष सुरेश किनाका संगठनात्मक हितों के खिलाफ काम करने का इल्जाम लगाया और साथ ही साथ ABM - TSC को पूरी तरह भंग करने की बात सोची।

इस मुद्दे को हल करने के अपने प्रयास में विफल होने के बाद ABMKSS ने 7 मार्च 2022 को ABM के बैनर तले आदिवासियों के संगठन से संबंधित सवालों से निपटने के लिए एक बैठक बुलाई गई जिसमें CPI-ML Red Star द्वारा संगठनिक सवाल को सुलझाये बिना मुद्दों से निपटने की कोशिश पर चर्चा की गई। बैठक में तेलंगाना, आंध्र, राजस्थान, गुजरात, झारखंड और दिल्ली के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। बैठक में ABM में सुरेश किनाका द्वारा उठाए गए मुद्दों को आगे बढ़ाने और आदिलाबाद में दूसरा सम्मेलन आयोजित करने के आह्वान के साथ आगे बढ़ने का संकल्प लिया गया। बैठक में तय किया गया कि तेलंगाना और झारखंड के प्रतिभागी जिन्होंने ABM के गठन में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया था और अपने-अपने राज्यों में इस प्रक्रिया को आगे बढ़ायेंगे और वे इस मामले को उठाएंगे कि कैसे लगातार भोजलाल नेताम ने अध्यक्ष के रूप के सौरा यादव के सामने नतमस्तक हो गये थे। ABM के गठन में

सभी ग्रुपो को आगे बढ़ाने की बजाय CPI-ML Red Star द्वारा थोपे गये संगठनिक मुद्दों को ही तरजीह दी गई।

इस ग्रुप ने लम्बे समय से चल रहे संगठनात्मक मुद्दों को हल करने और आदिलाबाद में सम्मेलन के सफल आयोजन की दिशा में काम करने के लिए हर पंद्रह में नियमित तैयारी बैठकें करने का भी तय किया। यह ग्रुप आदिवासियों के साथ काम करने के लिए CPI- ML Red Star के अधिकार को मान्यता देता है जिस तरह से वे उपयुक्त समझते हैं लेकिन किसने CPI- ML Red Star अन्य ग्रुपो पर अपने एकतरफा विचार थोपने का अधिकार दिया है. जिन आदिवासियों के पास उभर रहे बुनियादी सवालों के समाधान के लिए उनका अपना दृष्टिकोण है, भले ही वे आम तौर पर राजनीतिक एजेंडे से सहमत हों सकते है , जिसका मसौदा CPI- ML Red Star ने तैयार किया था और कुछ संशोधनों के बाद दूसरो द्वारा अनुमोदित किया गया हो।

पहली पार्टी कांग्रेस में मूल रूप से परिकल्पित ABMKSS की सक्रिय भागीदारी को ध्यान में रखते हुए तरुण कांति बोस द्वारा लिखित Forest Right Act 2006- Implementation & Violations (वन अधिकार अधिनियम 2006- कार्यान्वयन और उल्लंघन) रिपोर्ट को योजना बैठक के प्रतिभागियों के सामने संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत किया गया था। रिपोर्ट ने सामान्य रूप से वन अधिकार अधिनियम और विशेषतः सामुदायिक वन अधिकारों के गैर-कार्यान्वयन पर प्रकाश डाला, रिपोर्ट ने यह भी बताया कि अधिनियम को मान्यता देने से दूर अतिक्रमित 1927 वन अधिनियम का उल्लंघन करने के नाम पर आदिवासी, वनवासी और वन आश्रित समुदायों को अपराधी घोषित करने की साजिश की गई। तरुण कांति बोस ने अपनी प्रस्तुति में आदिवासियों, चरवाहों, मछुआरों, छोटे किसानों और गाँव से उत्पन्न होने वाले मजदूरों पर अपनी दूसरी रिपोर्ट के संक्षिप्त पहलुओं को भी शामिल किया। सामान्य तौर पर इसने इन समुदायों के हाशिए पर जाने के ABM के सामान्य प्रस्ताव और COVID के संदर्भ में इसके गंभीर प्रभाव का संकेत दिया। कोटा से शामिल फिरोज खान ने कोटा शहर में असंगठित मजदूर क्षेत्र के विभिन्न वर्गों पर COVID के प्रभाव का अध्ययन किया है। जबकि फिरोज खान ने ग्रामीण समुदायों के सामने आने वाले मुद्दों को सीखने के विचार से बैठक में हिस्सा लिया। उन्हें और देश के अन्य शहरों से उनके जैसे अन्य एक्टिविस्ट को शामिल करने का विचार करने के साथ कैसे शहरीकरण, औद्योगीकरण और वैश्वीकरण से उत्पन्न सवाल को जवाब देने में विफल रही है सरकार। इसके साथ ही साथ, सरकार विकास नीतियों के माध्यम से खेती और प्राकृतिक संसाधनों की अक्षमता से ग्रामीणों को लगातार बोझा बढ़ा रही है।

राजस्थान, गुजरात, झारखंड, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के प्रतिभागियों ने अपने-अपने राज्यों में FRA के गैर-कार्यान्वयन के संबंध में तरुण कांति बोस के निष्कर्षों का समर्थन करते हुए स्थानीय समुदायों की लामबंदी की सीमा का विवरण दिया।

आदिवासी भारत महासभा (यूनिटी फोरम) ने नागालैंड में ओटिंग के लोगों के लिए अपनी एकजुटता जाहिर की

आदिवासी भारत महासभा (यूनिटी फोरम) की योजना बैठक में, प्रतिभागियों ने ओटिंग के लोगों और मारे गए लोगों में से एक की नवविवाहित पत्नी के साथ अपनी एकजुटता जाहिर की। निनथौखोंगजम इबुंगोचौबी द्वारा साझा की गई रिपोर्ट को सदन के सामने साझा किया गया था। रिपोर्ट में AFSPA के तहत सेना की दण्डमुक्ति (impunity) शक्तियों और इस देश के निर्दोष नागरिकों पर इसके दुरुपयोग

पर प्रकाश डाला गया। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ओटिंग के लोगों से माफी मांगते हुए जांच के आदेश दिए हैं। वह एक विद्रोही (insurgent) हमले की 'विश्वसनीय खुफिया' सेना की रिपोर्ट पर कायम है और ट्रक को रोकने के लिए कहा गया था, बाद में हत्याओं के बचे लोगों द्वारा इनकार किया गया था।

सदन ने 29 और 30 अप्रैल 2022 को नागालैंड के दीमापुर में North East Indigenous Forum द्वारा आयोजित 2nd General Conference में हिस्सा लेने के लिए प्रतिनिधियों को भेजने का संकल्प लिया।

आदिवासी भारत महासभा (यूनिटी फोरम): संक्षिप्त टिप्पणी

स्थानीय और क्षेत्रीय आदिवासी संघर्ष ग्रुपो को अपनी अभिव्यक्ति खोजने के लिए जगह उपलब्ध कराने हेतु और सामूहिक प्राप्ति की दिशा में स्वेच्छा से काम करने की जरूरत को समझे हुए आदिवासी भारत महासभा (यूनिटी फोरम) का गठन एक महत्वपूर्ण कार्य था। जिसका गठन सामूहिक रैली बिंदुओं की पहचान करते हुए व्यक्तिगत अस्मिता के मान्यता के दोहरे आधार पर किया गया। ABM (UF) भी उसी तरह से एक मान्यता है किस तरह से पूंजीवाद सामूहिक संघर्षों को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, जनता को व्यक्तिगत रूप से संघर्ष करने के लिए मजबूर करता है।

एक गंभीर परिक्षण ने दिखाया है कि भले ही कोई संविधान में निहित अधिकारों और कर्तव्यों के भीतर काम करने की कोशिश करे, समुदायों/व्यक्तियों को आत्म-साक्षात्कार के लिए उनके नैतिक साहस को नष्ट करने के प्रयास में अपराधीकरण, अमानवीय और बदनाम किया गया है और राज्य/दानदाताओं के दान, सब्सिडी और उदारता पर आश्रित करता है। देश भर की जेलों में बड़ी संख्या में आदिवासी, सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े समुदायों के लोग या उनके लिए लड़ने वाले एक्टिविस्टों को कैद किया गया जिन्हें परीक्षण के बिना राज्य द्वारा अपने नागरिकों को प्रदान की जाने वाली स्थिति की प्रकृति का गवाह है AFSPA, IFA 1927 और अन्य कठोर अधिनियम, भारत के संविधान से अधिक वह ढांचा प्रदान करते हैं जिसके द्वारा देशभर के अधिकांश आदिवासी/ देशज समुदाय को प्रताड़ित व पीड़ित किया जा रहा है। भले ही भारत ने **UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) in 2007 and signed the ILO Convention 107** के पक्ष में मतदान किया सरकार "देशज लोगों" (Indigenous Peoples) (जो असलियत में आदिवासी है) के शब्द और अवधारणा को अस्वीकार करते हुये, यह दावा करते हुए कि सभी भारतीय देशज हैं।

यह दावा कई अधिनियमों और भारत सरकार द्वारा अपने ही जनता के खिलाफ उठाए गए कदमों से खंडित हो जाता है, उनमें से सबसे प्रमुख नागरिक संशोधन अधिनियम (CAA) है। इन अधिनियमों का विरोध करने के लिए देश के आदिवासी नागरिकों के अधिकारों से वंचित करते हुए, देश में प्रवेश करने वाले चुनिंदा रूप से शरणार्थियों को नागरिकता का मान्यता देना। नतीजतन, राष्ट्रीयता के सवाल पर व्यक्तिपरकता ने कई गुना तेज कर दिया है जिससे सरकार मनमाने ढंग से अपने नागरिकों को राष्ट्रविरोधी घोषित करने की इजाजत मिल गई है उन पर देशद्रोह का आरोप लगाते हैं। उन क्षेत्रों में सतर्कता के लिए लक्षित राज्य समर्थन करते हैं जहां संवैधानिक और अन्य कानूनी प्रावधान राज्य तंत्र को एक विशेष विचार प्रक्रिया के पक्ष में औपचारिक रूप से हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देते हैं। धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के सिद्धांतों को कम आंकते हुए और कॉरपोरेट को अतिरिक्त न्यायिक और संवैधानिक लाभ

देने के लिए इसका इस्तेमाल करना इस देश के सामाजिक और सांस्कृतिक ताने-बाने के इस ध्रुवीकरण और विनाश का एक अंतर्धारा है।

अब तक दो बैठकें हो चुकी हैं। 14 मार्च 2022 को हुई दूसरी बैठक में देश के 14 राज्यों के 19 जनों ने हिस्सा लेते हुए तय किया देश के विभिन्न हिस्सों में जूझते मुद्दों की विविधता को शामिल करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण विकसित करना। ABM (UF) ने सशस्त्र बलों द्वारा मोन जिले के ओटिंग गांव में 14 निहत्थे लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण हत्या की रिपोर्ट सुनकर, पीड़ित लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त की और 29 और 30 अप्रैल 2022 को द्वारा दीमापुर में North East Indigenous People's Forum के Second General Conference में हिस्सा लेने के लिए सहमत हुए।

आदिलाबाद, तेलंगाना में आयोजित होने वाली दूसरे ABM सम्मेलन हेतु योजना बैठक (Planning Meeting)

चर्चा के बाद निम्नलिखित एजेंडा 14 मार्च 2022 को गूगल मीटिंग से उभरे :

- I. स्थानीय स्वशासन की अवधारणा और 73वां संशोधन और 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची, AFPSA क्षेत्रों एवं अन्य इलाकों में इसके प्रभाव जहां आदिवासी/वन आश्रित समुदाय मौजूद है।
- II. चरवाहों क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन का अलग मायने होते हैं जहाँ पशुपालकों को स्थानीय समुदायों के साथ बातचीत करके उनके समस्याओं को निपटने की कोशिश करते हैं। उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख, राजस्थान, गुजरात और अन्य क्षेत्रों के अनुभव से रूपरेखा को परिभाषित करने में मदद मिलनी चाहिए।
- III. समान लेकिन एक विभिन्न मुद्दा जिससे मछुआरे समुदाय प्रभावित होता है। जैसे सुंदरबन में दक्षिणबंग मत्स्यजीवी फोरम (DMF) जिन मुद्दों को दूढ़ के निकला है और उन पर संघर्षरत हैं। तरुण कांति बोस के दो अध्ययनों में उनके द्वारा उजागर की गई बातों का सार समाहित है।
- IV. भूमि अधिग्रहण, खनन, अभयारण्य भी प्रमुख मुद्दे के रूप में उभरते कर आते हैं।
- V. दिहाड़ी मजदूरों का पलायन, बच्चों व महिलाओं की तस्करी और शहरों में आदिवासी प्रवासी मजदूरों द्वारा जूझते समस्याएं चिंता के विषय हैं।

आदिलाबाद सम्मेलन में सीधे या zoom द्वारा शामिल delegates को कुछ मुद्दों को उजागर करने का मौका देगी और उन लोगों की पहचान करने का कोशिश करेगी जो मुद्दों छुट जाते हैं उसे सही तरीके से संबोधित कर सकते हैं। यह सम्मेलन के एजेंडे और विभिन्न राज्यों / क्षेत्रों से आने वाले प्रतिभागियों की अनूठी भूमिका को परिभाषित करने के लिए पहला कार्य प्रदान करेगी। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्र में, आंतरिक रूप से विस्थापितों (Internally displaced persons) से उभरने वाले मुद्दों, भद्राचलम पेपर मिल के लिए यूकेलिप्टस के वृक्षारोपण के कारण मोनोकल्चर का मुद्दा भी शामिल किया जायेगा। प्रत्येक क्षेत्र के अपने मुद्दे हैं। नर्मदा विस्थापित, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के कारण विस्थापन गुजरात, एमपी और महाराष्ट्र की सीमा पर कुछ मुद्दे हैं।

प्रत्येक क्षेत्र के अपने मुद्दे हैं। नर्मदा के सरदार सरोवार परियोजना से विस्थापित आदिवासी व अन्य समुदाय, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से उत्पन्न गुजरात व मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा में होने वाले विस्थापन ऐसे कुछ मुद्दे हैं।

योजना बैठक में 14 राज्यों के उन्नीस लोगों ने हिस्सा लिया। निम्नलिखित विषयों पर चर्चा की गई:

1. 2 और 3 मई 2022 को आदिलाबाद में संभावित रूप से निर्धारित सम्मलेन की तिथि 27 मार्च 2022 को चर्चा के बाद निश्चित की जायेगी।
2. त्रिपुरा से लकड़ी माफिया के कामकाज से जुड़े मुद्दे पर प्रकाश डाला गया। स्वायत्त ग्राम परिषदों की उपस्थिति के बावजूद वन विभाग द्वारा वनों को नियंत्रित किया जाता है, जिसका लकड़ी माफिया के साथ संबंध है।
3. मणिपुर की स्थिति जिसमें 90% पहाड़ी क्षेत्र और 10% घाटी हैं, उस पर चर्चा की गई और इस क्षेत्र में रोजगार के अवसरों की कमी के कारण अफीम की बड़े पैमाने पर खेती की जाती है। म्यांमार, मिजोरम और नागालैंड से लगने वाला क्षेत्र म्यांमार, थाईलैंड और लाओस की तरह तेजी से ड्रग्स का केंद्र बनता जा रहा है।
4. उत्तर पूर्व राज्यों में AFSPA लागू है जिसके चलते नागालैंड के मोन जिले के ओटिंग गांव के 14 निर्दोष ग्रामीणों की हत्या के हालिया दर्दनाक घटना सबके साथ साझा किया गया था। इस घटना का विवरण व्हाट्स ऐप प्लानिंग ग्रुप (what Sapp Planning Group) पर पोस्ट किया गया था। इस घटना से सम्बंधित निम्नलिखित निर्णय लिए गए:
 - ✓ दर्दनाक घटना से महज 9 दिन पहले शादी के विधवा साथ ओटिंग में सेना द्वारा निर्दोष मृतको को एकजुटता पत्र।
 - ✓ 29 और 30 अप्रैल 2022 को दीमापुर (नागालैंड) में आयोजित North East Indigenous People's Forum (NEIPF) की 2 दिवसीय बैठक में ABM (UF) की तरफ से शामिल होने जायेंगे। अन्य सदस्य Google meet या zoom के माध्यम से शामिल हो सकते हैं।
 - ✓ आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम जिले में आदिवासियों में कार्यरत धरित्री संस्था के नानाजी राज्य के 5 वीं अनुसूची क्षेत्रों में के सामुदायिक वन अधिकार (CFR) गैर-कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों को उठाया जहाँ वन अधिकार समितियों का गठन भी नहीं किया गया है। हालांकि काफ़ी सामुदायिक ज़मीनों में बांस और सागौन उगाये गये हैं लेकिन इनको भी CFR प्रदान नहीं किया गया। तरुण कांति बोस द्वारा FRA 2006 की स्थिति और उल्लंघन पर अध्ययन में एक अधिक विस्तृत रिपोर्ट उपलब्ध है।
 - ✓ महाराष्ट्र के गढ़चिरोली के केशव गुरुनुले ने CFR titles दिये जाने के बाद वन विभाग के उल्लंघन की बात कही। वन अधिकार संरक्षण (Forest Rights Protection) के गठन के बावजूद, वन विभाग ने जंगलो व ग्राम सभा के आवंटित धन पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण बना रखा है। CFR दिये जाने के बाद के कई मुद्दों को हल करने की जरूरत है। इसके अलावा असलियत यह है कि महाराष्ट्र के जिलों में CFR titles दिया ही नहीं गया, जो चिंता का विषय है।

- ✓ छत्तीसगढ़ के अगनू साहू के साथ हुए चर्चा में, जो मीटिंग में शामिल नहीं हो सके, वहां के आदिवासी भी इसी तरह के मुद्दों को सामना कर रहे हैं। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि COVID 19 अवधि के दौरान छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में CFR के लगभग 30% जंगलों को कवर करते हैं, हालांकि इसके बावजूद इन जमीनों पर अधिकार सीमित हैं। खनन और अन्य 'विकासात्मक गतिविधियों' के लिए आरक्षित क्षेत्रों में भी अधिकार वंचित किये गये हैं।
- ✓ केरल के वायनाड जिले में कार्यरत दिनेश ने FRA को लागू न करने और केरल में आदिवासियों को हाशिए पर धकेले जाने से संबंधित मुद्दों की ओर इशारा किया।
- ✓ तमिलनाडु के सलेम व कोडईकनाल में कार्यरत रेंगनाथन इसी तरह के मुद्दों की बात करते हुए उन्होंने PACL द्वारा 15,000 परिवारों को प्रभावित करने वाली 9000 एकड़ जमीन के अवैध अधिग्रहण की बात की।
- ✓ गुजरात के छोटा उदयपुर के नंदू भाई ने नसवाड़ी के 41 गांवों के लिए CR titles के सीमित व्यावहारिक अमल की तरफ संकेत किया, धारा 5 के तहत जंगलों की रक्षा हेतु आदिवासी होने के बावजूद उनके अधिकारों को मान्यता नहीं मिली है। उन्होंने कावंत में एक प्रस्तावित खनन परियोजना की भी बात रखी जिसके चलते 100 गांवों के निवासियों के सिर पर विस्थापन का खतरा मंडरा रहा है।
- ✓ सुरेश किनाका और रमेश थोलेम ने तेलंगाना में इसी तरह के मुद्दों और निष्क्रिये पड़े ग्राम सभाओं बारे में बताया। 70 में से 1 के तहत दिए गए कानूनी प्रावधान, नीलगिरी के मोनोकल्चर युकलिप्टस वृक्षारोपण से क्षेत्र की पर्यावरण को प्रभावित कर रही है। रमेश ने बताया कि छत्तीसगढ़ के आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों (Internally Displaced persons) को राशन कार्ड व वोट देने के अधिकार प्राप्त थे, लेकिन उन्हें जंगल में आजीविका जैसे संबंधित मुद्दे से महसूस रखा गया है क्योंकि 2006 के उपरांत वहां बसे लोगों के लिए FRA के प्रावधानों को लागू नहीं किया गया। आदिवासी के रूप में मान्यता, शिक्षा और अन्य सुविधाओं से संबंधित मुद्दे अभी भी लंबित थे। आदिवासी के रूप में मान्यता देना, शिक्षा और अन्य सुविधाओं से भी वंचित किया जा रहा है।

चूंकि यहां दी गई अधिकांश विवरण तरुण कांति बोस द्वारा किये गये अध्ययन 'FRA के कार्यान्वयन व उल्लंघन' में विस्तार से शामिल हैं। इसलिए यह अध्ययन आदिलाबाद के प्रस्तावित सम्मेलन में प्रस्तुत की जायेगी। अगली योजना बैठक 27 मार्च को प्रस्तावित है। आदिलाबाद सम्मेलन में जारी होगा ड्राफ्ट न्यूजलेटर प्रस्तुत की जायेगी।

27 मार्च 2022 आदिवासी भारत महासभा (यूनिटी फोरम) की बैठक

14 मार्च 2022 को हुई बैठक के बाद, राज्य और क्षेत्रीय स्तर पर उठाये जाने वाले कुछ मुद्दों को समझने के लिए सलाह- परामर्श आयोजित की गई थी। नैनीताल जिले में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के वन गुर्जरों के बीच काम करने वाले समाजवादी लोक मंच के मुनीश कुमार के साथ चर्चा में निम्नलिखित मुद्दे सामने आये:

1. उत्तराखंड में वन सुरक्षा कानून (FRA) का गैर-कार्यान्वयन से चरवाहों (pastoral) समुदाय को प्रतिकूलता की तरफ धकेला है और वन भूमि पर अवैध कब्ज़ा मानते हुये वन विभाग द्वारा वन गुज्ररों पर लगातार अत्याचारों की कडी
2. उत्तराखंड के 'नेतृत्व' द्वारा एक एकीकृत दृष्टिकोण की कमी के परिणामस्वरूप जमीन पर ली जाने वाली रणनीति पर भ्रम पैदा हुआ

मुनीश कुमार के साथ हुए परामर्शों के आधार पर निम्नलिखित सुझाव दिये गये:

1. चरवाहों द्वारा दावा 'मूल गांव' में दायर किया जाना, पशु चराने हेतू रास्ते में पडने वाले गांवों, जिलों व राज्यों को तय करने के उल्लेखित समय, जिले के अन्य गांवों से संवाद स्थापित करने की जिम्मेदारी उस जिले के कलेक्टर की होती है तथा अन्य जिलों में कलेक्टरों के साथ और दूसरे राज्यों की राज्य स्तरीय समिति के साथ भी।
2. ग्राम सभा में पशुपालकों की बहुमत ना होने के कारण उन्हें परिशानिया झेलनी पड़ती है। अधिनियम के अनुसार वे जिस गांव के बाशिन्दे है वहा वे अलग ग्राम सभा का गठन कर सकते हैं और इसके गठन की इतला सरपंच को दी सकती है। हालाँकि एक ही गाँव में दो ग्राम सभाओं का गठन नहीं किया जा सकती।
3. चरवाहों के घुमंतू प्रकृति होने के कारण 75 वर्ष का निवास प्रमाण (residence proof) मिलना कठिन है। गजट सूचना (Gazetteer Information) या इसी तरह के अन्य सरकारी प्रमाणित दस्तावेज के आधार पर क्षेत्र में चरवाहों समुदाय के निवास प्रमाण की आवश्यकता है।
4. उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के चरवाहों के लिए इन मुद्दों पर संयुक्त रणनीति।

उत्तर पूर्व के लोगों व अन्य के साथ विचार-विमर्श के आधार पर ABM (UF) के सदस्यों के लिए दीमापुर (नागालैंड) में 29 और 30 अप्रैल 2022 को सम्मेलन में हिस्सा लेने की योजना को अंतिम रूप दी गई।

ABM (UF) ने पहले ही नागालैंड के ओटिंग गांव के नागरिकों पर सेना की गोलीबारी के पीड़ितों के साथ एकजुटता दिखाते हुए एक वक्तव्य जारी किया है।

निंगथौखोंगजाम इबुनुचौबी (मणिपुर) ने मणिपुर की स्थितियों का संक्षिप्त विवरण दिया जो भारत में असम, नागालैंड, मिजोरम की सीमा से लगा हुआ है और म्यांमार (बर्मा) के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तीन राजमार्ग मणिपुर को असम, नागालैंड (कोहिमा) और म्यांमार से जोड़ते हैं। मैतेई मणिपुर राज्य की आबादी का लगभग 53% प्रतिनिधित्व करता है, इसके बाद विभिन्न नागा जनजातियाँ 24% और विभिन्न कुकी / ज़ोमी जनजातियाँ 16% हैं। राज्य की मुख्य भाषा मीटिलॉन (मणिपुरी के नाम से भी जानी जाती है)।

Southern Angami Public Organisation (SAPO), मणिपुर की सीमा से लगे क्षेत्रों में रहने वाली अंगामी नागा जनजाति का प्रतिनिधित्व करने वाली संगठन है, ने 21 मार्च 2022 को मणिपुर सरकार द्वारा "विवादित" केज़ोल्सा क्षेत्र के रूप में संदर्भित "विकासआत्मक गतिविधियों" और "सशस्त्र कर्मियों की तैनाती" के संबंध में 72 घंटे के बंद का आह्वान किया था। यह बंद अब एक सप्ताह से अधिक समय से जारी है। इससे राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर वाहनों का आवागमन ठप हो गया है और मणिपुर के लिए आपूर्ति मार्ग बाधित हो गया है। मूल में तीन नागा जनजातियों के बीच एक पुराना भूमि स्वामित्व विवाद है -

नागालैंड के अंगमी और मणिपुर के माओ और मरम।

<https://indianexpress.com/article/explained/explained-bandh-naga-outfit-blocked-national-highway-manipur-nagaland-border-7841223/>

सदन ने एक अपील भेजने का संकल्प लिया कि भूमि से संबंधित आदिवासी विवाद मणिपुर की पूरी आबादी को परेशान न करे।

रांची (झारखंड) के डॉक्टर वासवी किरो ने झारखंड में दो आंदोलनों का वर्णन किया। पहली नेत्राहाट फायरिंग रेंज के खिलाफ संघर्ष 1990 के दशक से पिछले 28 वर्षों से जारी है, जब केंद्र ने सेना द्वारा फील्ड फायरिंग अभ्यास के लिए गुमला और लातेहार में नेत्रहाट पहाड़ियों में लगभग 1,471 वर्ग किलोमीटर को चिह्नित किया था, झारखंड के निवासी इसे भूले नहीं हैं। 1994 में भारी प्रतिरोध के कारण, रेंज में अभ्यास और 245 गांवों में 2 लाख से अधिक आदिवासियों के विस्थापन को रोक दिया गया था, हालांकि, 2022 में अधिसूचना के नवीनीकरण की समय सीमा के करीब होने के कारण, जमीनी स्तर पर आदिवासी समुदाय अपने संघर्ष को नया रूप दे रहे हैं।

दूसरा भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1984 की धारा 24 (2) के तहत अनुपयोगी ज़मीन को वापस करने की मांग से संबंधित है। विभिन्न विकास कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप विस्थापित हुए तीसरी पीढ़ी के आदिवासियों की स्थिति से उभरे मुद्दे जिससे शिक्षा और रोजगार पर खास असर पड़ता है। इन समस्याओं से ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पूरे बेल्ट जकड़ा हुआ है।

धरित्री, आंध्र प्रदेश के नानाजी ने यह मुद्दा उठाया कि कैसे विशाखापट्टनम जिला तीन में विभाजित होने जा रहा है। अल्लूरी सीताराम राजू सबसे बड़ा जिला 12,251 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। यह पडेरू, अराकू और रामचोदवरम का गठन करेगा। विशाखापट्टनम का नया जिला सबसे छोटा होगा, जो केवल 928 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करेगा। भीमिली, आनंदपुरम, पद्मनाभम, विशाखापट्टनम ग्रामीण, महारानीपेटा, गजुवाका, पेदगंत्याडा, गोपालपट्टनम, मुलुगडा और सीथम्माधारा क्षेत्र नए विशाखापट्टनम जिले के अंतर्गत आएंगे। अनाकापल्ले जिला अब 4412 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करेगा। यह जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा रहेगा 2011 की जनगणना के अनुसार अनाकापल्ले की आबादी 18.73 लाख है। मद्दुगुला, देवरपल्ले, कासिमकोटा, रामबिलि, मुनागपाका, अचुतापुरम, चोडावरम, पेंडुर्थी, परावदा, सब्बावरम, नारीसीपट्टनम जैसे क्षेत्र नए अनाकापल्ले जिले के अंतर्गत आएंगे। नवगठित जिलों में से प्रत्येक में दो नए राजस्व विभाग होंगे। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया से इन जिलों के आदिवासियों पर इस संभाग का प्रभाव पड़ेगा। इस मुद्दे पर 2 अप्रैल 2022 को बैठक होनी है, जो कार्यवाही समूह के साथ साझा की जायेगी।

VRDP, तमिलनाडु के रंगनाथन ने FRA के तहत हो रहे प्रगति को लेकर अप्रैल, 2022 में रोटोगिरी में होने वाली बैठक की बात कही। कार्यवाही को ABM (UF) के साथ साझा किया जायेगा। गढ़चिरौली (महाराष्ट्र) से 2 और 3 मई 2022 को आदिलाबाद में सम्मेलन में एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी। छत्तीसगढ़ से भी इसी तरह के अनुभव साझा किए जाने की उम्मीद है।

आदिलाबाद सम्मेलन में अंग्रेजी, हिंदी और तेलुगु संस्करणों में जारी होने वाले ABM (UF) के न्यूजलेटर की रूपरेखा प्रतिभागियों के साथ साझा की गई। विचारों को पैना व तेज करने पर चर्चा की गई। यह समझाया गया था कि समाचार पत्र संयुक्त राष्ट्र के स्वदेशी लोगों के अधिकारों की घोषणा के संदर्भ में

आदिवासी अधिकारों के सवाल पर जोर देगा और इसे भारत में इन अधिकारों से वंचित करने से संबंधित है, इस आधार पर कि भारत के सभी नागरिक आदिवासी हैं। . यह समझाया गया **न्यूज़लैटर United Nations Declaration of Rights of Indigenous Peoples** के संदर्भ में आदिवासी अधिकारों के सवाल पर जोर देगा और इसे भारत में इन अधिकारों से वंचित करने से संबंधित है, इस आधार पर कि भारत के सभी नागरिक आदिवासी हैं। .

योजना प्रक्रिया (Planning process) में ABM (UF) और उनके संगठनात्मक संबद्धता रखने वाले Google meet के माध्यम से जुड़ने वाले व्यक्ति:

1. सुरेश किनाका – अध्यक्ष, ABM तेलंगाना राज्य समिति
2. रमेश थोलेम – उपाध्यक्ष, ABM तेलंगाना राज्य समिति
3. वेंकटेश - Member, आंध्र प्रदेश तेलंगाना कंसोर्टियम
4. हेमंत दास - संयोजक, झारखंड मजदूर किसान यूनियन
5. प्रभात कुमार सिन्हा - सचिव राजस्थान किसान मजदूर संघ, सदस्य, किसान समन्वय समिति राजस्थान और संयोजक राजस्थान असंगठित श्रमिक अधिकार अभियान ICAN और संयोजक, अखिल भारतीय मजदूर किसान संघर्ष समिति
6. तरुण कांति बोस – पत्रकार, शोधकर्ता और एक्टिविस्ट, नई दिल्ली
7. फिरोज खान – एक्टिविस्ट, कोटा
8. नादुभाई रथवा – सदस्य, फेनिमाता जय सृष्टि मंडल और कार्यकर्ता आदिवासी जन उत्थान ट्रस्ट
9. शत्रुभाई – सदस्य, फेनिमाता जय सृष्टि मंडल और कार्यकर्ता आदिवासी जन उत्थान ट्रस्ट।
10. केशव गुरुनुले - श्रुति, महाराष्ट्र
11. जगन अदा जगन- सदस्य, ABM तेलंगाना राज्य समिति तेलंगाना
12. डॉक्टर गोल्डी जॉर्ज – दलित आन्दोलन के एक्टिविस्ट, लेखक व शोधकर्ता , छत्तीसगढ़
13. नानाजी - धरित्री, आंध्र प्रदेश
14. मुनीश कुमार –संयोजक समाजवादी लोक मंच, रामनगर, नैनीताल, उत्तराखंड
15. कमल गोपीनाथ - पत्रकार, कर्नाटक
16. दिनेश – JWALA, वयनाड, केरल
17. रेंगनाथन - वीआरडीएस, सलेम तमिलनाडु
18. एन इबुंगोचौबी – पत्रकार व प्रबक्ता, North East Indigenous Peoples Forum मणिपुर
19. सिद्धार्थ भट्टाचार्य –शिक्षक, पत्रकार व आदिवासी मंच के एक्टिविस्ट, त्रिपुरा
20. डॉक्टर वासवी किरो – पत्रकार, लेखक व एक्टिविस्ट, रांची झारखंड
21. डॉक्टर लेनिन रघुवंशी - संस्थापक व संयोजक PVCHR, वाराणसी
22. चित्त बेहरा – वकील, लेखक व एक्टिविस्ट
23. वीरेन लोबो – एक्टिविस्ट, शोधकर्ता, संगठनकर्ता व सदस्य, अखिल भारतीय मजदूर किसान संघर्ष समिति

दीमापुर, नागालैंड 29-30 अप्रैल 2022 में NEIPF के Second General Conference

एन. इबुन्गुचौबी, प्रवक्ता NEIPF के निमंत्रण पर ABM (UF) के एक दो सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने दो दिवसीय सम्मेलन में हिस्सा लिया और NEIPF के नेतृत्व के साथ बातचीत की।

सम्मेलन और बातचीत से उभरे कुछ मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:

1. NEIPF पूर्वोत्तर के देशज (indigenous) लोगों के अपनी ही भूमि में अल्पसंख्यक बनने को लेकर चिंतित है। तदनुसार NEIPF का उद्देश्य उत्तर पूर्व की 200+ जनजातियों के बीच एकता बनाना है ताकि उनके सामान्य मुद्दों और चिंताओं को व्यक्त किया जा सके।
2. मुख्य चिंता का विषय उत्तर पूर्वी राज्यों और भारत की सीमाओं के बीच सीमा के विवाद है। NEIPF जनजातियों के बीच आंतरिक सीमा विवादों के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। वे मानते हैं कि पूर्वोत्तर के विभिन्न जनजातियों जिनके बीच गहरे पारिवारिक संबंध व एकता को नष्ट करके समस्या पैदा की जा रही है।
3. सामान्य सूत्रों अनुसार अहोम साम्राज्य से अधिकांश उत्तर पूर्व राज्यों की उत्पत्ति है। 1826 में तीन इंडो बर्मी युद्धों के बाद असम और मणिपुर को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था, जहां अहोम राजा को अंग्रेजों की मदद लेने के लिए मजबूर किया गया था।
4. ब्रिटिश हस्तक्षेप अपने साथ उत्तर पूर्व में दो प्रमुख मुद्दों को लेकर आये थे जो अब तक अज्ञात थे:
 - चाय बागानों की शुरुआत और इसके साथ भारत के अन्य क्षेत्रों जैसे झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ के देशज समुदाय, खासकर आदिवासी जो अब उत्तर पूर्व के देशज लोगों के रूप में मान्यता की मांग करते हैं। NEIPF 1826 से पूर्व इन समुदायों और असम के मूल निवासियों के बीच के अंतर को दर्शाता है। भारत के इन दो देशज समुदायों के बीच प्रश्नों की विभिन्न प्रकृति को समझने के लिए इस अंतर को समझना जरूरी है।
 - आम तौर पर व्यापारियों और विशेष रूप से बंगालियों की आमद, पूर्व में अविभाजित भारत से फिर बाद में बांग्लादेश से। असम और अब उत्तर पूर्व के अन्य हिस्सों में बाहरी लोगों की घुसपैठ और अब उत्तर पूर्व के अन्य हिस्सों में स्थानीय समुदायों पर हावी होने का खतरा है। बांग्लादेश और बर्मा (अब म्यांमार) के घुसपैठियों के साथ उत्तर पूर्व में बाहरी लोगों की इस अवधारणा को लागू करके स्थिति को और अधिक जटिल बनाया जा रहा है।
 - उत्तर पूर्व के रंगरूप में परिवर्तन का शुद्ध प्रभाव उन आवासों का विनाश है जिन पर जनजातियाँ जीवित रहीं मुख्य भूमि भारत में बाहरी लोगों द्वारा पूर्वोत्तर के संसाधनों का शोषण/ दोहन। उत्तर पूर्व ने शोषणकारी सरकारों को बदलकर प्रतिक्रिया दी है लेकिन शोषण के संरचनात्मक कारण अभी भी बने हुए हैं। उत्तर पूर्व ने शोषक सरकारों को बदलकर प्रतिक्रिया जाहिर की है लेकिन शोषण के संरचनात्मक कारण अभी भी बने हुए हैं।

इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए ABM (UF) द्वारा NEIPF को निम्नलिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की गई:

Report presented to North East Indigenous People's Forum by ABM (UF)

My dear brothers and sisters of the North East,

Background:

All fingers of the hand are not alike yet they work together to produce many marvelous and unheard of things. So too are the seven sisters of the North East. Not alike I mean. The table below provides a glimpse into this diversity. While Assam has one third of the population of the North East it has 70% of the population. On the other hand while Arunachal Pradesh has slightly more land than Assam it has only 3 % of the total population. Why so? While Assam lies in the Brahmaputra plains, Arunachal is mountainous.

Brief Profile of the North East

S.NO	State	% Geographical Area	% Population	Population Density
1.	Assam	2.4	2.6	397
2.	Tripura	0.32	0.31	350
3.	Meghalaya	0.69	0.25	132
4.	Manipur	0.68	0.25	122
5.	Nagaland	0.50	0.16	119
6.	Mizoram	0.64	0.09	52
7.	Arunachal Pradesh	2.54	0.11	17

The historical development of mankind shows the pivotal role played by water and topography in availability of food and consequently the demographic growth of populations. As the Honourable Minister Temjen Imna Along said, before going to Old Delhi Station, he never saw so many people in one place. The mountainous North East made dispersed settlement necessary for survival.

The diverse and colourful traditions and cultures of the North East are born out of conditions in which people lived and worked. The North East Indigenous People's Forum, while recognising this diversity calls for Unity on the basis of preservation of this rich cultural and ethnic diversity.

The arrival of the British and the puncturing of this rich tapestry.

To pit this quite simply tea plantations and the felling of wood/ floating them down the river Brahmaputra with the help of imported labour and domesticated elephants changed the fabric of the region and necessitating a regime of command and control

Post British, the scenario was no different. the chicken neck corridor, the lifeline of the North East actually served as a conduit for import and export of commodities in and out of the region with the control in the hands of outsiders. Hydro Electric power, Oil and Natural Gas and other mineral wealth have resulted in displacement and low paid jobs for local communities while the wealth gets centralised in the stock exchange of Mumbai for instance.

Rediscovering the strength of Indigenous communities

This North East has politically given a fitting reply to the continued exploitation of the North East. However issues related to preservation of the identity, culture and heritage of the North East remain. It is our contention true dignity of the people of the North East cannot be preserved without recognition of the relevance of the traditional knowledge and wisdom of the people of the North East related to the preservation and management of the natural resources of the region for livelihoods and governance. The recently formed NEIP needs to have a concrete agenda related to the development and conservation of natural resources of this region. Distinct from the exploitative corridor module of development that is being posed as the harbinger of jobs etc.

Adivasi Bharat Mahasabha (UF) and Unity in Diversity

Formed in 2018, Adivasi Bharat Mahasabha recognised the question of consistent marginalisation of the Adivasis under whatever form and pretext. ABM (UF) emerges out of this process as a concrete way to give shape to questions related to unity in diversity. Assertion of community rights to local self-governance, using existing provisions for dealing with issues related to livelihood with dignity and raising one's voice against demonisation and alienation of local communities the need of the hour.

In a parallel process small groups from 17 states across the country were meeting regularly to discuss the issues facing adivasis from pastoral, fishers and tribal communities. In 2019 it was decided to do a systematic documentation of the issues facing these communities and present before the Union Minister of Tribal Affairs. This culminated in a report titled Forest Rights Act - Implementation and violations.

The report listed violations in relation to filing of Forest Rights claims, delays in processing claims and violations related to post- Community Forest Rights (CFR) recognition. The report highlighted the need for creation of federation of users that could take up common issues facing forest dwellers and forest-dependent communities. It promoted the primacy of CFR as a way of addressing multiple issues and concerns related to the process of filing of claims.

Following the study it was realised that there was a need for a systematic exposure of the conditions facing these communities. Accordingly, study was commissioned to study the interface of these communities in three states of the country, mainly, Maharashtra, Jharkhand and Chhattisgarh and then, use these understanding to develop a perspective on these three communities across the country. The study highlighted that despite continuous struggles these communities were continuously being marginalised due to the exploitative nature of the policies put in place by the

Government of India. The study 'Marginalised But Not Defeated' therefore spelt out a roadmap where these communities could jointly conduct struggles on the basis of principles of autonomy, dignity and inclusiveness.

Viren Lobo and Tarun Kanti Bose -members of ABM (UF)

30 अप्रैल 2022 को हुई खुली चर्चा में, ABM (UF) ने रिपोर्ट का सार साझा किया और उत्तर पूर्व के सामने आने वाले गहरे मुद्दों के अध्ययन में शामिल होने की अपनी इच्छा का संकेत दिया ताकि स्थानीय समुदायों की भागीदारी के साथ एक घरेलू समाधान विकसित किया जा सके।

2 और 3 मई 2022 को आदिलाबाद में ABM (UF) का सम्मेलन

2 और 3 मई 2022 को आदिलाबाद में ABM (UF) सम्मेलन ने आदिलाबाद जिले के विभिन्न हिस्सों के प्रमुख नेतृत्व और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अन्य जिलों के कुछ प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ- साथ देश के विभिन्न वक्ताओं को Google meet से जोड़ा गया।

प्रतिभागियों ने अपना परिचय दिया और भूमि और अन्य अधिकारों से संबंधित कुछ प्रमुख मुद्दों को प्रस्तुत किया जिनसे वे जूझ रहे हैं। चूंकि अधिकांश मुद्दों पर ऊपर गहराई से बात की गई है, इसलिए उन्हें यहां दोहराया नहीं जाएगा हालांकि, चित्त बेहरा, ओडिशा के वकील व एक्टिविस्ट की प्रस्तुति महत्वपूर्ण थी, जिनमें ऐतिहासिक संघर्षों के ठोस संदर्भ में ABM (UF) को रखने की आवश्यकता को साझा किया, जिसने विभिन्न राज्यों में स्थानीय स्वशासन से संबंधित कानूनों और अधिनियम को जन्म दिया। सम्मलेन से उपरान्त चित्त बेहरा ने उनके द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं के आधार पर ABM (UF) के लिए राजनीतिक नोट का मसौदा तैयार करने के लिए अपनी सहमति व्यक्त की है। इस मसौदे को अगस्त/सितंबर में दिल्ली में होने वाली ABM (UF) की अगली बैठक में साझा किया जाएगा।

ABM (UF) के सम्मलेन ने निम्नलिखित नये कार्यकारणी गठित की:

संयोजक: किनाका सुरेश (आदिलाबाद तेलंगाना)

सह-संयोजक (महिला विंग): तुलसी (आदिलाबाद तेलंगाना)

सदस्य:

1. डॉ वासवी किरो (झारखंड)
2. गिरिजा उइके (महाराष्ट्र)
3. नंदूभाई रथवा और शन्नाभाई भील (गुजरात)
4. कोड़ा शिव केशव
5. ए ईश्वरी (आंध्र प्रदेश)
6. कुर्सेंग यादव राम (तेलंगाना)
7. थोलेम रमेश (तेलंगाना)

संगठन:

1. सृष्टि, बिरसा क्रांति दल (महाराष्ट्र)
2. राजस्थान मजदूर किसान संघ (राजस्थान)
3. झारखंड मजदूर किसान संघ (झारखंड)
4. समाजवादी लोक मंच (उत्तराखंड)

5. बैजनाथ किसान सभा (हिमाचल प्रदेश)
6. वन अधिकार मंच (कश्मीर)
7. ज्वाला (केरल)
8. धरित्री (तमिलनाडु)
9. परिवर्तन (छत्तीसगढ़)
10. अखिल भारतीय मजदूर किसान संघर्ष समिति (ओडिशा, दिल्ली और अन्य राज्य जैसे त्रिपुरा, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और बिहार सहित)